कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1331/11–सी–FP/UP/Others/14131/2015, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 24, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद–अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 9.100 के दायीं पटरी पर ग्राम–हरदुआगंज के खसरा सं0–176 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।
प्रस्ताव सं0– **FP/UP/Others/14131/2015**

संदर्भ– उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–पी–99/81–2–2020–800(106)/2020, दिनांक–05.11.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक–1796/14–1, दिनांक 23.11.2023 द्वारा ऑनलाई प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ऑनलाईन प्रेषित की गयी अपत्तियों का निराकरण ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1331/11–सी– FP/UP/Others/14131/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1796 /14-1, दिनांक अलीगढ़ नवम्बर, 23 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- कार्योपरान्त स्वीकृति (**Ex-post Facto**) के अन्तर्गत जनपद-अलीगढ़ में अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम हरदुआगंज के खसरा सं0-176 में एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित एक वृक्ष के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- अनुसचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक संख्या-पी-99/81-2-2020-800(108)/2020, दिनांक 05.11.2020 तथा आपका पत्रांक 1094/11सी-FP/UP/Others/14131/2015 दिनांक 06.11.2020 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ का पत्रांक 1893/अलीगढ़/ 14131/2015 दिनांक 17.11.2023

महोदय,

उपरोक्त सदर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने सन्दर्भित पत्र से संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर संस्तुति सहित ऑनलाइन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

S.No.	Ovservation	Reply
1	प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post Facto) से सम्बन्धित है तो पृष्ठ 20 पर संक्षेत संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है?	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2015 में प्रस्ताव प्रेषण के उपरान्त किया गया है, जबकि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.06.2015 से सम्बन्धित है जो कि उल्लंघन के पूर्व की है। जिसके कारण संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post Facto) अंकित नहीं किया गया है।
2	विषयगत प्रस्ताव वर्ष 2015 में प्रस्तावित है, उल्लंघन कब किया गया है का साक्ष्य सहित विवरण उपलब्ध करायें। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु -3 बी के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना लक्षित नहीं होना है?	प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 21.10.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रकरण में उल्लंघन दिनांक 17.01.2017 से किया जा रहा है। सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-1) वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु-3 बी के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2)
3	प्रस्ताव के पृष्ठ-31 पर रक्षित प्रमाण पत्र (उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड की अनापत्ति) दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हो गया है जिसे अद्यतन अपेक्षित है।	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अद्यतन अनापत्ति निर्गत कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)
4	एच-2 केस दज होने के प्रश्चात पेनल्टी जमा की गयी? केस प्रशमित की गयी है अथवा नहीं।	एच-2 केस दर्ज होने के पश्चात पेनल्टी/जुर्माना जमा किया गया है एवं केस प्रशमित किया गया है। साक्ष्य हेतु प्रशमित एच-2 केस एवं जमा कराये गये जुर्माने की रसीद संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4 एवं 5)

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राकेश चन्द्रा)
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06, ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित।

राकेश चन्द्रा)
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

o 14131 of 2015 vill. Harduaganj